भारत आए सभी शरणार्थियों जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति भी शामिल हैं, के स्थाई पुनर्वास के लिए राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारें योजनाएं तैयार कर रही हैं।

नेहरू कम्पलेक्स के निष्क्रान्त व्यक्तियों को मुआवजा

9463. **श्री मोहम्मद शमसूल हसन खां :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री नेहरू कम्पलेक्स के लिए भूमि के बारे में 12 दिसम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3552 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ऊपरि टैंक तथा कार पार्क शेड पहले ही तैयार हो चुके हैं, तब अधिसूचना जारी न करने और मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण है ;

(ख) क्या यह बात संवैधानिक उपबन्धों के विरुद्ध नही है ;

(ग) क्या वह अधिसूचना जारी करने और मुआवजे का भुगतान करने की कोई अन्तिम तिथि निर्धारित करेंगे यदि हां तो कब तक ; और

(घ) भूमि के मालिकों को हुई परेशानी, उनके अधिकारों से वंचित किए जाने और उनको हुई वित्तीय हानि का किस प्रकार मुआवजा दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भूमि का सीमांकन तथा कुछ अन्य तत्व शामिल है।

(ख) यह भू-अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है।

(ग) भू-अर्जन की आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस प्रक्रिया को शीघ्र करने के लिए सभी प्रयत्न किए जायेंगे लेकिन अधिसूचना जारी करने के लिए निश्चित तारीख नही दी जा सकती।

(घ) अवार्ड की घोषणा के बाद अधिकृत मालिकों को मुआवजा मिलेगा। यदि वे सम्बन्धित शर्तें पूरी कर देंगे तो उन्हें वैकल्पिक प्लाट भी दिए जायेंगे।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

9464. **श्री कैलाश प्रकाश :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अधीन अध्यापको को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते है, और यदि हां, तो यह योजना कब आरंभ की गई थी ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए और उनमे महिला अध्यापको और हैड-मास्टरों की संख्या क्या है ; और

(ग) पुरस्कार प्राप्त करने वालों को क्या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरुआ) : (क) जी हां। योजना 1958-59 में शुरू की गई थी।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) पुरस्कार प्राप्त अध्यापको को केवल इस आधार पर कि उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है अब कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती। तथापि यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त

अध्यापकों के अनुभव और ज्ञान का उपयोग उन्हें विशेषज्ञ समितियों इत्यादि का सदस्य नियुक्त करके किया जाए जो राज्य सरकारों द्वारा शैक्षणिक मामलों अर्थात् पाठ्यचर्या का पुनर्गठन, पाठ्यपुस्तकें तथा अनुपूरक पठन सामग्री का निर्माण, निरीक्षण कार्य, परीक्षा सुधार इत्यादि पर विचार करने के लिए स्थापित की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी सार्वजनिक समारोहों में उन्हें भी आमंत्रित किया जाए। इन सुझावों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों पर छोड़ा गया है।

विवरण

	पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों की कुल संख्या	अध्यापिकाओं की संख्या (मुख्याध्य पिकाओं सहित)	मुख्य अध्यापकों/ प्रिंसिपलों की संख्या
1975	97	17	67
1976	98	20	66
1977	110	29	60
	305	66	193

Inadequate Central Assistance to Madhya Pradesh

9465. SHRI SURYA NARAYAN SINGH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) details of the Central assistance given to the State of Madhya Pradesh during the Fifth plan period for the Social Welfare programmes;

(b) whether it is a fact that the assistance provided to the State so far was found to be inadequate and

(c) if so, what steps are being proposed to provide more funds to the State for next plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN): (a) and (b). The Department of Social Welfare have some Centrally Sponsored Schemes under which finances are made available to States to implement these programmes. The Centrally Sponsored Schemes are:—

(i) Integrated Child Development Services Scheme.

(ii) Functional Literacy for Adult Women Scheme.

(iii) Special Employment Exchanges for the Handicapped.

(iv) Scheme for the Services for Children in Need of Care and Protection.

The amount made available to Madhya Pradesh for these Schemes is Rs. 30,65,639 during the Fifth Plan.

(c) Some additional Centrally Sponsored Schemes are being considered and a final decision will be taken by the National Development Council.